कार्यालय, कलेक्टर (आदिवासी विकास) अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा (छ0ग0)

क्रमांक / स्था. / आवि / परि.भर्ती / 2017–18 / 4042 /अम्बिकापुर, दिनांक 26 / 12 / 2017

–:: विज्ञापन ::–

छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक / एफ–17–58 / 2014 / 25–2 रायपुर, दिनांक 13.12.2016 एवं आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक / टीएडीपी / फा–536 / 2015–16 / 10140 रायपुर, दिनांक 04.01.2016 के द्वारा एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के अंतर्गत जिला स्तरीय संविदा नियुक्ति के अधिकार कलेक्टर को सौंपे गये है।

अतः उक्त आदेश के तहत कलेक्टर, जिला–सरगुजा के द्वारा गठित चयन समिति के अनुमोदन से परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा के लिए विभिन्न पदो की संविदा नियुक्ति हेतु कार्यालयीन विज्ञापन क्रमांक / स्था. / आवि / भर्ती / 2017 / 662 / अम्बिकापुर, दिनांक 08.05.2017 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। विषय विशेषज्ञ एवं सहायक अभियंता के पद सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी हेतु आरक्षित था, किन्तु सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी द्वारा आवेदन प्राप्त न होने के कारण निम्नांकित पदों हेतु पुनः आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

नीचे दर्शित पदों एवं उनके सम्मुख दर्शाये गये विवरण अनुसार संविदा भर्ती संबंधी योग्यता सहित वांछित अर्हताधारी इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 29 / 01 / 2018 को सायं 05:30 बजे तक संपूर्ण योग्यता एवं अनुभव आदि प्रमाण पत्रो सहित निर्धारित प्रारूप आवेदन आमंत्रित किये जाते है :–

क्र.	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	बैंड पे	ग्रेड पे	प्रस्तावित मासिक संविदा वेतन	आरक्षण की स्थिति	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता
1	2	3	4	5	6	7	8
01	विषय विशेषज्ञ (कृषि / उद्यानिकी / वेटेनरी एवं फिशरीज)	03	15600–39100	5400	29400.00	अजजा(मुक्त)–02 अनारक्षित(मुक्त)–01 कुल पद–03	एम.एस.सी. कृषि / एम.टेक. कृषि / एम.एस.सी. उद्यानिकी / एम.व्ही.एस.सी.,एम.एस.सी. फिशरीज पी.जी. डिप्लोमा इन रूरल डेव्लपमेंट या एम.बी.ए. इन रूरल मैनेजमेंट **(संबंधित विभाग से उप संचालक एवं समकक्ष पद से सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी हेतु आरक्षित)**
02	सहायक अभियंता	01	15600–39100	5400	29400.00	अनारक्षित(मुक्त)–01 कुल पद–01	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल अभियांत्रिकी में स्नातक अथवा राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समतुल्य अर्हता **(सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी हेतु)**

क्रमशः.........

संविदा नियुक्ति हेतु **नियम एवं शर्ते :–**

1. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक संतान है, जिसमें से एक का जन्म जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो इन सेवाओ हेतु नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। साथ ही छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 में नियुक्ति के लिए अनर्हताएं भी लागू होगी।
3. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ पांच–पांच रूपये का डाक टिकट लगाकर 02 खाली लिफाफा स्वयं का पता लिखकर संलग्न करना होगा।
4. आरक्षित वर्ग के आवेदक को जाति के समर्थन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. शासकीय/अशासकीय अथवा निजी संस्थानों में कार्यरत् कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र उन संस्थाओं में नियोक्ता के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा आवेदन पत्र पर विचार नहीं होगा।
6. आवेदक के द्वारा लिफाफों में आवेदित पद का नाम, श्रेणी स्पष्ट एवं बड़े अक्षरों में दर्शाना होगा। प्रत्येक पद के लिए अलग–अलग आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
7. अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी। प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि विज्ञापन में दिए गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि अथवा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।
8. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर जमा करना अनिवार्य होगा। **(आवेदन का प्रारूप www.surguja.gov.in** पर उपलब्ध है) निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने पर उसे अमान्य किया जा सकता है। आवेदन पत्र का प्रारूप सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, सरगुजा (अम्बिकापुर) एवं कार्यालय परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा के सूचना पटल पर भी अवलोकन किया जा सकता है।
9. **प्रतीक्षा सूची जारी दिनांक से एक वर्ष के लिए मान्य होगी।**
10. **चयन उपरांत यदि कोई भी जानकारी असत्य पायी जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त की जावेगी। साथ ही संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।**
11. **संविदा भर्ती नियम में सामान्य प्रशासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेश लागू होंगे।**
12. **संविदा सेवा सिर्फ मासिक एक मुश्त राशि वेतन देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृहभाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जावेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं होगी।**
13. **संविदा नियुक्ति सामान्यतः एक वर्ष के लिए होगी। विभाग आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्ति अधिकारी/कर्मचारी की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा अवधि आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकेगा। संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त मानी जावेगी।**

14. सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति के मामले में सेवानिवृत्त के तत्काल पूर्व धारित पद के समकक्ष पद पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हता का बंधन नहीं होगा।
15. संविदा नियुक्ति हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित जिला स्तर पर आरक्षण रोस्टर लागू होगा।
16. उम्मीदवार की आयु 01.07.2017 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष से 35 वर्ष अधिकतम एवं सेवानिवृत्त अधिकारी के लिए अधिकतम 70 वर्ष होगी।
17. सीधी भर्ती से संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों का आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों का ऐच्छिक अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महिनो के लिए आनुपातिक आधार पर किया जायेगा, गणना के अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस से पूर्णांकित किया जाएगा। विश्रामावकाश विभागों में कैलेण्डर वर्ष का तात्पर्य 12 माह की वास्तविक सेवा से लगाया जायेगा।
18. सेवानिवृत्त व्यक्ति से संविदा नियुक्ति की स्थिति में संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का अस्थाई शासकीय सेवक के समान अवकाश की पात्रता होगी।
19. सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की संविदा नियुक्ति के दौरान उसे/उन्हें अन्य कार्यालय में समकक्ष पद पर स्थानांतरित किया जा सकेगा और उसे/उन्हें संविदा नियुक्ति के पद के कार्य के साथ--साथ अन्य पद का अतिरिक्त दायित्व भी सौंपा जा सकेगा जिसे स्वीकार करना उसके/उनके लिए बाध्यकारी होगा।
20. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए संविदा वेतन की कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बीमा पेंशन योजना अथवा पी0पी0एफ0 में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देनी होगी कि कर्मचारी द्वारा किस योजना का वरण किया गया है। परंतु यह प्रावधान सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों पर लागू नहीं होगा।
21. संविदा पर नियुक्त सेवानिवृत्त व्यक्ति सेवानिवृत्त के समय यदि शासकीय आवास में रह रहा हो उसे शासकीय आवास की पात्रता बनी रहेगी तथा उससे छ0ग0 मूलभूत नियम 45--क के अनुसार लाइसेंस शुल्क की वसूली की जायेगी तथा उसे शासकीय सेवकों के समान चिकित्सा प्रतिपूर्ति की भी पात्रता होगी।
22. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिया जायेगा। यदि आगामी वर्ष हेतु उसे पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर उसके कार्य का मूल्यांकन हो सके।

टीप :-- **यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तो को पूरा करते है। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपने अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्हता पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी, साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।**

क्रमशः.......

//04//

आवेदन के संबंध में दिशा–निर्देश

आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकसूचियों की राजपत्रित अधिकारी/स्वप्रमाणित द्वारा सत्यापित छायाप्रति सहित प्रस्तुत किये जा सकेगें। आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को अच्छी तरह से नस्तीबद्ध किया जावें एवं पृष्ठ क्रमांक भी डाले। आवेदन पत्र निर्धारित क्रम से ही व्यवस्थित कर (1. आवेदन पत्र, 2. निवास प्रमाण पत्र, 3. रोजगार पंजीयन, 4. जाति प्रमाण पत्र, 5. शैक्षणिक योग्यता, 6. अन्य प्रमाण पत्र, सेवानिवृति आदेश 7. लिफाफा) पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 29/01/2018 को संध्या 05:30 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट या स्वयं उपस्थित होकर जमा किये जा सकते है।

आवेदन करने हेतु पता :– **कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, आकाशवाणी चौक, पटेल बिल्डिंग, अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा (छ0ग0)।**

(कलेक्टर, सरगुजा द्वारा आदेशित)

26/12/17

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास अम्बिकापुर
जिला–सरगुजा (छ0ग0)

पृ.क्र./स्था./आवि/परि.भर्ती/2017–18/4043 /अम्बिकापुर, दिनांक 26/12/2017

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छ0ग0 शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0) की ओर सादर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर (छ0ग0) की ओर सादर सूचनार्थ।
5. कलेक्टर, जिला–सरगुजा (छ0ग0) की ओर सादर सूचनार्थ।
6. उप संचालक, जनसंपर्क कार्यालय अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा को सूचनार्थ। कृपया उक्त विज्ञापन को 02 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा को सूचनार्थ। कृपया उक्त विज्ञापन को जिले की वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।
8. स्थापना शाखा, कार्यालय परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा नस्ती हेतु/सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

2699

26/12/17

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास अम्बिकापुर
जिला–सरगुजा (छ0ग0)

आवेदन पत्र का प्रारूप

एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना अम्बिकापुर के ....

पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

(प्रत्येक पद के लिये पृथक–पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करें)

पद क्रमांक	:–	....
आवेदित पद का नाम	:–	....
वर्ग (जाति)	:–	....
लिंग	:–	....

नवीनतम स्वप्रमाणित पासपोर्ट फोटो चस्पा करें।

प्रति,

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास, आकाशवाणी चौक
अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा (छ0ग0)

1. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :–..

2. पिता / पति का नाम :–..

3. (अ) जन्म तिथि अंको में :–..

   (ब) शब्दों में :–..

4. दिनांक 01.07.2017 को आयु :–वर्ष.......................माह....................दिन...............

5. (अ) पत्र व्यवहार का पूर्ण पता :–..
....
....
....

   (ब) स्थायी पता :–..
....
....
....

6. मोबाईल नम्बर :–..

7. रोजगार कार्यालय का नाम एवं :–..
जीवित पंजीयन क्रमांक (स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

8. क्या अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहते है ? :–..
(यदि हां तो किसी श्रेणी से उल्लेख करें)

9. क्या आवेदक छ0ग0 राज्य का मूल निवासी है ? :–..
(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा स्थायी निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

10. क्या आवेदक छ0ग0 शासन द्वारा ? :–...

छ.ग. राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है ? हां/नहीं
(यदि हां तो समक्षम अधिकारी द्वारा स्थायी जाति प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करे)

11. क्या आवेदक विकलांग है ? हां/नही :–...
(यदि हां तो विकलांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

12. विकलांगता का प्रकार व प्रतिशत :–...

13. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है ? हां/नहीं :–...
(यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

14. क्या आवेदक विवाहित है ? हां/नहीं :–...

15. यदि विवाहित है, तो विवाह की तिथि :–...

16. जीवित बच्चों की संख्या एवं जन्मतिथि :–...

17. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :–

क्र0	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

16.1 क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय :–...
संस्था में सेवारत् है ? हां/नहीं
(यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

क्र0	संस्था का नाम	पदनाम	मासिक वेतन	अवधि	कुल वर्ष
1	2	3	4	5	6

16.2 यदि आवेदक सेवानिवृत्त अधिकारी है, तो :–...
किस पद पर कार्यरत थे।

16.3 सेवानिवृत्त कार्यालय का नाम एवं पूर्णपता :–...

16.4 सेवानिवृत्त होने माह में कुल मासिक वेतन :–...
(अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर)

16.5 सेवानिवृत्त होने के पश्चात् मिलने वाले :–...
पेंशन की राशि (पीपीओ के आधार पर)

16.6 सेवानिवृत्त पश्चात् मेडिकल फिटनेस का उल्लेख :–...

17. क्या आवेदक/आवेदिका के विरूद्ध कोई दाण्डिक :–...
प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में अनुसंधान/विचारण हेतु लंबित है अथवा किसी न्यायालय में निराकृत हो चुका है ? हां तो संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक एवं निर्णय आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।

18. संलग्न प्रमाण–पत्रों की सूची :–

1.. 2..

3.. 4..

5.. 6..

7.. 8..

9.. 10..

11.. 12..

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक का नाम ....

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण एवं संलग्न अभिलेख मेरे व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि असत्य पायी जाती है, तो उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी और मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक :–...............................

स्थान :–...............................

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक का नाम ....